Tapwari Estate
Vedanta

Mauza Pathauli

27-11-10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 819055

अखलाक खाँ
कोषागार
22 NOV 2010
आगरा

आर्य भूमि सहकारी ...
सचिव

-: मैमिन :-

किस्म दस्तावेज - बैनामा ।

1- भूमि का प्रकार - कृषीय भूमि ।

2- वार्ड/परगना - तहसील व जिला आगरा ।

3- मोहल्ला/ग्राम - मौजा पथौली - आगरा ।

4- सम्पत्ति का विवरण - एककिता आराजी खाता संख्या-00162 व खसरा नम्बर-461.

5- मापन की ईकाई - हैक्टेयर ।

6- सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 1.1130 हैक्टेयर में से 0.9220 हैक्टेयर ।

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा

सचिव

Arya Bhoomi Sahkari Awas Samiti Ltd.

59,50,000- P.NO. (5) पत्ते डी + PDC
5,81,000- Stamp
14,000 - Reg. exp.
65,45,000-

0.9220 x 10,000
= 9220 mtr.

01-12-10

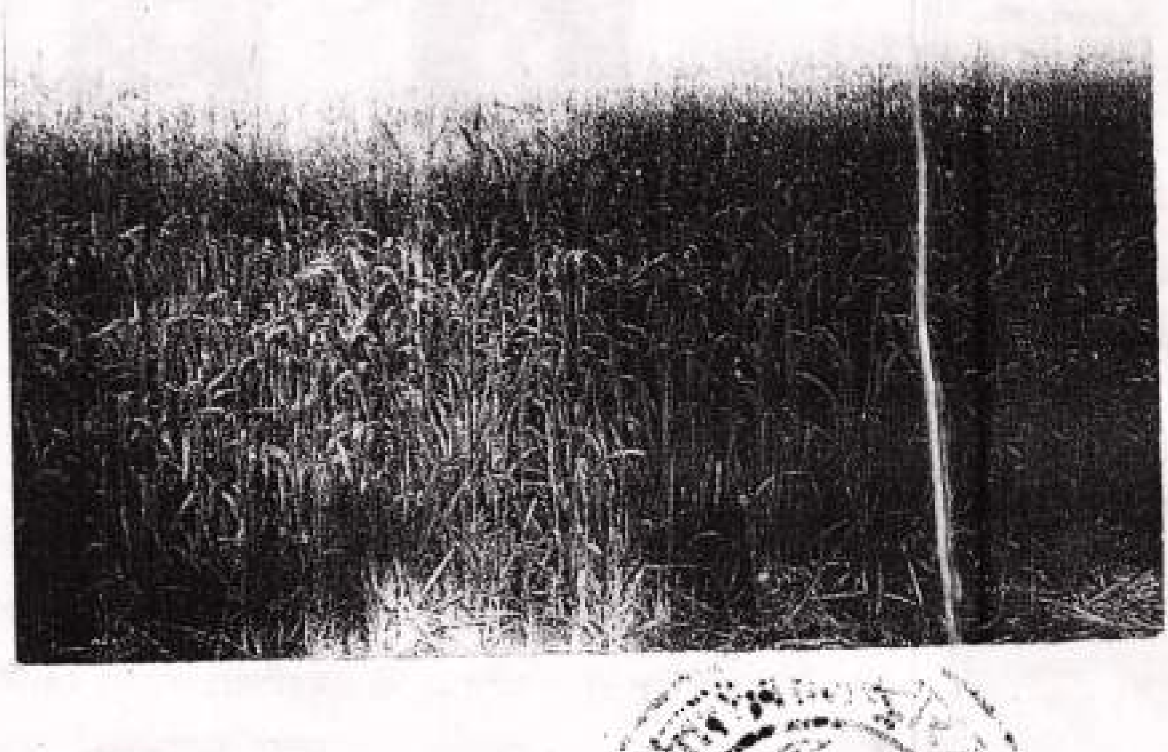

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 819056

22 NOV 2010

7- अन्य विवरण/कुँआ/पेड़/बोरिंग -	विक्रीत आराजी में किसी प्रकार का कोई पेड़ व कुँआ व बोरिंग आदि नहीं है और जिसमें वर्तमान में कृषि कार्य हो रहा है और जिसकी 200 मीटर की परिधि में भी कृषि कार्य हो रहा है ।
8- सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है -	हाँ ।

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति ... लखनऊ

सचिव

विक्रय पत्र

प्रतिफल	मालियत		फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
5,950,000.00/	8,298,000.00		10,000.00	20	10,020.00	800

श्री /श्रीमती ऋषि शर्मा

पुत्र / पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा

पेशा व्यापार

निवासी स्थायी पचौली आगरा

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 27/11/2010 समय 11:56AM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

दिनेश चन्द्र
उपनिबन्धक(द्वितीय)
आगरा सदर
27/11/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती ऋषि शर्मा
पुत्र/पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा
पेशा व्यापार
निवासी पचौली आगरा

क्रेता

श्री/श्रीमती गनेश चंद अग्रवाल अधिकृत प्रतिनिधि
पुत्र/पत्नी श्री मक्खनलाल अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी 35/60 नौबस्ता आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 819057

9- विक्रीत कीमत -	59,50,000/- रुपया ।
10- सरकारी मालियत -	82,98,000/- रुपया ।
11- स्टाम्प -	5,81,000/- रुपया ।
12- सर्किल रेट -	90,00,000/- रुपया प्रति हैक्टेयर पक्के मार्ग/गैर कृषि भूमि के सहारे स्थित न होने के कारण जिसका मूल्यांकन दर सूची के भाग-2(ख)(iii) के पेज-22 क्रमांक-1 के कालम-7 के अनुसार किया गया है ।

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा

सचिव

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री जल सिंह
पुत्र श्री किशन सिंह
पेशा व्यापार
निवासी सौहल्ला आगरा

व श्री श्याम सुन्दर शर्मा
पुत्र श्री के एन शर्मा
पेशा व्यापार
निवासी लोहामंडी आगरा

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

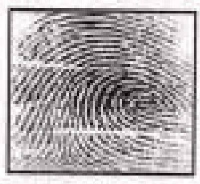

दिनेश चन्द्र
उपनिबन्धक(द्वितीय)
आगरा सदर
27/11/2010

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

A 819058

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेता की संख्या: एक

विक्रेता का विवरण:- आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा द्वारा सचिव ऋषि शर्मा निबन्धन संख्या-3572 दिनांक 15-6-2005 ई० पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा निवासी ग्राम पथौली तहसील व जिला आगरा ।

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा

ऋषि शर्मा

सचिव

विक्रेता

Registration No.: 11671 Year : 2010 Book No. : 1

0101 ऋषि शर्मा

नरेन्द्र कुमार शर्मा

पथौली आगरा

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

A 819059

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

क्रेता की संख्या: एक

क्रेता का विवरण:- मैसर्स त्रिपुरारी एस्टेट प्रा०लि० ः रजिस्टर्ड अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत गठित। कार्यालय पुष्पांजली पैलेस देहली गेट आगरा आयकर पैन नम्बर - ए ए सी सी टी 9540 के. द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि गनेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व० श्री मक्खन लाल अग्रवाल निवासी 35/60, नौबस्ता लोहामण्डी शहर आगरा ।

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा

सचिव

क्रेता

Registration No. : 11671

Year : 2010

Book No. : 1

0201 गनेश चंद अग्रवाल अधिकृत प्रतिनिधि

मक्खनलाल अग्रवाल

35/60 नौबस्ता आगरा

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

A 819060

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जोकि एककिता आराजी वाके मौजा पथौली तहसील व जिला आगरा खाता संख्या-00161 खसरा नम्बर-461 रकबा 1.1130 हैक्टेयर में से 0.9220 हैक्टेयर लगानी हिस्सा रसदी फसली वर्ष 1418 लगायत 1423 की विक्रेता समिति बमुताबिक खतौनी दिनांक 8-11-2010 ई0 के अनुसार श्रेणी-1।क।।क। भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में है,

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति ...

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

A 819061

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अखलाख खाँ
कोषाधिकारी
2 NOV 2010
कोषागार, आगरा

के मालिक काबिज व दखील चली आती है जिसको विक्रेता समिति ने जरिये बैनामा रजिस्टरीशुदा दिनांक 30-1-2010 ई0 जिसकी रजिस्टरी कार्यालय उपनिबन्धक द्वितीय आगरा की बही नम्बर एक जिल्द 6722 के पृष्ठ 167/238 नम्बर 925 पर विधिवत दर्ज रजिस्टर्ड हुई, के द्वारा नरायन सिंह पुत्र श्री करन सिंह निवासी ग्राम पथौली तहसील व जिला आगरा से क्रय की और जिसपर विक्रेता समिति का नाम कागजात

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

A 819062

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अखलाख खां
कोषाधिकारी
22 NOV 2018
कोषागार, आगरा

सरकारी देहा में बहैसियत स्वामी के दर्ज चला आता है । विक्रेता समिति के सिवाय आराजी मजकूराबाला विक्रीत कुल में अन्य कोई हकदार व हिस्सेदार किसी प्रकार का नहीं है कि जो माने किसी तरह के इन्तकाल बगैरा का होवे और जो आज तक हर प्रकार के दावे व झगड़े व रहन व बै व हिबै व मुआहिदाबै व करजे व बार व चार्ज व इन्तकाल व एक्यूजीशन व एक्यूटेबिल मोरगेज व जमानत कुर्की

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा
सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 819063

अखलाक खाँ
कोषाधिकारी
22 NOV 2010
कोषागार, आगरा

व नालिश व नीलाम एवं समस्त प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों आदि से कतई मुक्त पाक व साफ है कि जिसको विक्रय करना इस प्रकार स्वीकार है कि उक्त भूमि के विक्रय की बावत समिति की कार्यकारिणी बैठक समिति कार्यालय में उक्त भूमि को विक्रय की बावत दिनांक 8-8-2010 ई0 को आहूत हुई जिसमें समिति की कार्यकारिणी के समक्ष

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 819064

22 NOV 2010

समिति के सचिव द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि उक्त आराजी भूमि को किसी अन्य को विक्रय कर दिया जाये जिसकी बाबत समिति की कार्यकारिणी के द्वारा प्रस्ताव संख्या-2 के अन्तर्गत उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्णय लिया गया तत्पश्चात समिति द्वारा यानी समिति की सामान्य इकाई की विशेष बैठक

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 819065

22 ... 2010

दिनांक 5-9-2010 ई0 को समिति कार्यालय में आहूत की गयी जिसमें प्रस्ताव संख्या-3 के अन्तर्गत उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद (सहकारिता अनुभाग) 104, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ द्वारा एन0एच0 गुप्ता सहकारी पर्यवेक्षक (आवास) आगरा से दिनांक 8-11-2010 ई0 को अनुज्ञा दे लिये

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि0 आगरा

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 819066

22 NOV 2010

प्रार्थना पत्र दाखिल करवाया गया जिसमें अपर आवास आयुक्त/अपर निबन्धक ने सहकारी पर्यवेक्षक की संस्तुति को मानते हुये उक्त भूमि को विक्रय करने की अनुमति अपने आदेश पत्र संख्या-5027/सहकारिता दिनांक 16-11-2010 ई0 के द्वारा प्राप्त करली गयी है । इस प्रकार उक्त भूमि को विक्रय करना स्वीकार है जिसकी संस्तुति सहकारी पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 12-11-2010 ई0 को करते हुये उ0प्र0 आवास एवं विकास

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

A 819067

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22 NOV 2010

परिषद में प्रस्तुत किया गया था । शेष बची आराजी को नक्शे में रंग हरे से दर्शाया गया है कि जो विक्रय नहीं की जा रही है ।

लिहाजा विक्रेता समिति स्वेच्छा तथा प्रसन्नतापूर्वक समिति द्वारा निर्धारित निश्चित मूल्य पर आराजी मजकूरावाला विक्रीत कुल को मय गुडटाइटिल के बएवजमुबलिग 59,50,000/- उन्सठ लाख पचास हजार रुपया कि आधे जिसके मुबलिग 29,75,000/- उन्तीस लाख

सार्थ भूमि सहकारी आवास समिति लि०

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 819068

पिचहत्तर हजार रुपया होते हैं बदल्त - मैसर्स त्रिपुरारी स्टेट प्रा०लि० (रजिस्टर्ड अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत गठित) कार्यालय पुष्पांजली पैलेस देहली गेट आगरा द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि गनेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व० श्री मक्खन लाल अग्रवाल निवासी 35/60, नौबस्ता लोहामण्डी शहर आगरा क्रेता उक्त को विक्रय कर्ता की और बेच दी

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 819069

और कीमत का कुल धन मुबलिग 59,50,000/- रुपया विक्रेता समिति ने क्रेता कम्पनी उक्त से इस प्रकार प्राप्त कर लिया कि मुबलिग 13,18,000/- रुपया पहले प्राप्त किये वमुबलिग 46,32,000/- रुपया द्वारा चैक नम्बर-156160 दिनांक 15-5-2011 ई० कि जो इलाहाबाद बैंक छिली ईंट रोड शाखा आगरा का है, के द्वारा विधिक भुगतान

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 819070

अखलाख खाँ
कोषाधिकारी
22 NOV 2010
शोभानगर, आगरा

हो जाने के पश्चात प्राप्त कर लिया है । इस प्रकार अब उपरोक्त चैक का भुगतान हो जाने के पश्चात विक्रेता समिति का क्रेता कम्पनी उक्त से कीमत में कुछ भी पाना बाकी नहीं रहा है और न आयंदा होगा । उक्त चैक का नियत तिथि पर भुगतान न होने पर यह बैनामा विधि शून्य व निष्प्रभावी माना जायेगा ।

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि.

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 819071

अखलाख खाँ
कोषाधिकारी
2 NOV 2016
कोषागार, आगरा

- 17 -

लिहाजा कब्जा व दखल आराजी मजकूरावाला विक्रीत कुल पर विक्रेता समिति ने बहैसियत पूर्णरूपेण स्वामी के क्रेता कम्पनी का करा दिया है और बतौर मालिक मुस्तकिल काबिज व दखील बना दिया । अब क्रेता कम्पनी को अधिकार है कि वह आराजी मजकूरावाला

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि०

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

A 819072

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अखिलेश शर्मा
कोषाधिकारी
22 NOV 2010
कोषागार, आगरा

विक्रीत कुल ते बहैसियत स्वामी के जिस प्रकार चाहें लाभान्वित होवें तथा रहन व विक्रय व हिबे व मुआहिदाये आदि जो चाहें तो करें तथा अपने नाम का नामांकन कागजात सरकारी देहा में बहैसियत स्वामी के दर्ज करावें तथा लगान दाखिल खजाना सरकार अदा करें

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति जि० आगरा

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

A 819073

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अवलोकित ... कोषाधिकारी 22 NOV 2010 कोषागार, ...

इसमें विक्रेता समिति को किसी प्रकार का कोई उजर व एतराज नहीं है और न समिति के किसी पदाधिकारी को कोई उजर व एतराज नहीं है और न आयंदा होगा ।

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 819074

अतिरिक्त कोषाधिकारी
22 NOV 2010
कोषागार, आगरा

- 20 -

अगर सानीउलहाल कोई वारिस या दावेदार या कोई समिति या पदाधिकारी मौजूदा व भूतपूर्व व भविष्य का पैदा होकर किसी प्रकार का कोई दावा व झगड़ा क्रेता कम्पनी से करे या उसके स्वामित्व

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

A 819075

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22 NOV 2016

अधिकारों व कब्जे में बाधा डाले या बैनामा हाजा में कोई कानूनी कमी पायी जावे तो ऐसी तमाम सूरतों में उसकुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी तनहा विक्रेता समिति व समिति के पदाधिकारियों मौजूदा

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा।

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

A 819076

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अखलाक खाँ
कोषाधिकारी
2 NOV 2010
कोषागार, आगरा

व भूतपूर्व व भविष्य के की है और होगी । उस समय क्रेता कम्पनी को अधिकार होगा कि वह कुल जरे समय अपना मय हरजा व खर्चा व लागात आदि सहित मय सूद कानूनी के जिस तरह चाहें वसूल करलें इसमें कुछ उजर न होगा ।

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 905230

उक्तआराजी भूमि से सम्बन्धित समिति की कार्यकारिणी का प्रस्ताव व समिति की कार्यकारिणी द्वारा लिया गया निर्णय व नोड्यूज व समिति का अनापत्ति व सहमति प्रमाण पत्र क्रेता कम्पनी को सौंप

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि०

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

R 905231

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

दिये हैं इसके अलावा क्रेता फर्म द्वारा किसी प्रकार की तर्कसहमति के हस्ताक्षर व अनुज्ञा जिस प्रकार की भी मांग की जायेगी उसको समिति देने के लिये बाध्य है व रहेगी ।

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि०

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 924088

उपरोक्त आराजी की भूमि नजूल व राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है और नाहीं किसी वाद में कोई अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित की गयी है जिसकी बावत विक्रेता समिति ने किसी प्रकार का कोई

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि.

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

R 924089

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अखलाँख खाँ
कोषाधिकारी
22 NOV 2010
कोषागार, आगरा

मुआवजा आदि प्राप्त नहीं किया है । उक्त आराजी भूमि को विक्रय करने में भारतीय स्टाम्प अधि० की धारा 27।।। का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है ।

आर्य भूमि सहकारी आवास समि..

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 905546

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे ।
तहरीर तारीख 25-11-2010 ई0 बमसौदा सुरेश चन्द्र अग्रवाल दस्तावेज

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

R 905547

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अखलाँख खाँ
कोषाधिकारी
19 NOV 2018
कोषागार, आगरा

सेवक निवासी 35/141, नौबस्ता लोहामण्डी आगरा व टाईप कर्ता वीरेश कुमार गोयल सदर तहसील आगरा । दस्तावेज हाजा पक्षकारानों

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 120990

अखलाख खाँ
कोषाधिकारी
11 NOV 2010
कोषागार, आगरा

के निर्देशानुसार तहरीर व तकमील कर टंकण कराया । उपरोक्त पर चस्पा फोटो की शिनाख्त नीचे लिखे गये गवाहानों द्वारा की गयी है ।

आर्य भूमि सहकारी आवास समिति लि० आगरा

सचिव

स्टाम्प विक्रय की तिथि 10655 24/11/10
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता
स्टाम्प की धनराशि 1000/-
संजय अग्रवाल
लाइसेन्स नं. 1
ला. की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

आज दिनांक 27/11/2010 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 7344

पृष्ठ सं. 115 से 176 पर कमांक 11671

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

दिनेश चन्द्र
उपनिबन्धक(द्वितीय)
आगरा सदर
27/11/2010